विविध अपीलवादवाद सं0 :234/2008–09

130/2006–07

(तुलसी यादव बनाम दुलारी देवी वगैरह एवं अंचल अधिकारी डुमरी)

आदेश

अंचल अधिकारी डुमरी के विविधवाद संख्या 07/2006–07 में विज्ञ अंचल अधिकारी डुमरी के द्वारा दिनांक 20.02.2007 में पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी श्री तुलसी यादव साकिन : बड़कीबेरगी, थाना : डुमरी के द्वारा नामांतरण अपीलवाद के रूप में दायर एवं इस न्यायालय में पंजीकृत किए गए इस वाद की सुनवाई के कम में सर्वप्रथम अपीलवाद विलंब अवधि को अपीलार्थी पक्ष के द्वारा दिए गए तर्क को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत क्षांत किया गया। इस अपीलवाद में सुनवाई की निर्धारित तिथियों में उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दिए गए तर्कों को सुना गया एवं दाखिल दावा–साक्ष्य का अवलोकन कर उन्हें अभिलेखबद्ध किया गया।

विज्ञ अधिवक्ता अपीलार्थी पक्ष के द्वारा तर्क दिया गया कि मौजा : बड़कीबेरगी थानान0 55 अंतर्गत खातान0 51 के खेसरान0 1094 पर अवस्थित आम के पेड़ को काटने तथा जमीन एवं वृक्ष की बिकी को रोकने के संबंध में निम्न–न्यायालय में दुलारी देवी के द्वारा दि0 17. 08.2006 को दिए गए आवेदन पर पंजीकृत वाद सं0 07/2006–07 के अंतर्गत एक सादा जमींदारी हुकुमनामा और उत्तराधिकार के नियमों के विरूद्ध नामांतरण की प्रकिया के अंतर्गत अपीलार्थी पक्ष के पिता : लेखो यादव के नाम से पंजी।। के जमाबंदी पृष्ठ सं0 84 में कायम जमाबंदी में से कमशः रकबा 0.80ए0 तथा 3.09ए0 भूमि को घटाए जाने एवं विपक्षीगण कमशः दुलारी देवी वो भोली महतो वगैरह कें नाम से अलग जमाबंदी पृष्ठ में जमाबंदी दर्ज कर लगान रसीद निर्गत किए जाने के संबंध में दिनांक 20.02.2007 में पारित आदेश प्रतिपादित एवं स्थापित न्यायिक प्रकिया के विरूद्ध है। विज्ञ अधिवक्ता के अनुसार वादगत खातान0 का कुल खतियानी रकबा 6.27ए0 है तथा सर्वे–खतियान में यह बेनी ग्वाला वो झग्गर ग्वाला, पेशरान : नेम महतो साकिन : बड़कीबेरगी के नाम से दर्ज है। झग्गर ग्वाला के नावल्द फौत कर जाने के उपरांत बेनी ग्वाला वादगत खाता के संपूर्ण रकबा पर दखलकार हुए। बेनी के द्वारा उसके एकमात्र पुत्री पुनिया

देवी के ब्याह के उपरांत संपूर्ण रकबा को भुतपूर्व जमींदार रघुनाथ शाह भगत के नाम प्रत्यार्पित (surrender)कर दिया गया। विज्ञ अधिवक्ता के अनुसार नेम ग्वाला के कुल 3 पुत्र थे–1. फुली 2. बेनी वो 3. झग्गर। फुली के दखल और स्वामित्व में नहीं रहने के कारण ही वादगत खाता के खतियान में उनका नाम दर्ज नहीं हुआ। बेनी की एकमात्र पुत्री पुनिया देवी के ब्याह के उपरांत बेनी ग्वाला के द्वारा संपूर्ण भूमि को जोत–आबाद करने तथा उसकी देखभाल किए जाने का दायित्व फुली के पुत्र लेखो यादव को दे दिया गया था और लेखो यादव वादगत भूमि के प्रत्यार्पित (surrender)किए जाने के पूर्व से ही वादगत भूखंड के संपूर्ण खतियानी रकबा पर दखलकार चले आ रहे थे और इसकी पुष्टि फसली 1335 के एक लिखित पंचनामा फैसला से की जा सकती है छायाप्रति(अभिलेखबद्ध)। विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि लेखो यादव के पूर्व दखल के आलोक में वादगत खाता के संपूर्ण रकबा की बंदोबस्ती उनके नाम से कर दी गई और वर्ष 1940 में वादसं0 407/1940 में दि0 08.04.40 में सक्षम पदाधिकारी के पारित आदेश के अंतर्गत लगान निर्धारित कर लेखो महतो(यादव) के नाम से लगान घटाए जाने से संबंधित शुद्धिपत्र(statement of reduction of rent) भी निर्गत किया गया छायाप्रति(अभिलेखबद्ध)। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात कायम किए गए सरकारी पंजी।। के जमाबंदी पृ0सं0–84 में भी उर्पयुक्त उल्लेखित आधार पर ही लेखो महतो के नाम से जमाबंदी कायम हुई। लेखो महतो के मरणोपरांत उनके पुत्र तुलसी यादव का वादगत भूमि पर दखल और कायमी अधिकार स्थापित हुआ। विज्ञ अधिवक्ता के अनुसार वर्ष 1954–55 से लगातार लगान के भुगतान के उपरांत सरकारी रसीद की प्राप्ति और आवश्यकतानुसार समय–समयपर भूमि की बिक्री(अनुमानित रकबा लगभग 2.00ए0) , अपीलार्थी पक्ष के कायमी अधिकार और भूमि पर शांतिपूर्ण दखल की पुष्टि करता है। विज्ञ अधिवक्ता के अनुसार ही निम्न–न्यायालय में विपक्षीगण के द्वारा भूतपुर्व जमींदार के पक्ष में बेनी ग्वाला के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रत्यार्पण दस्तावेज और विपक्षी सं0–2 (टुकन महतो) के पूर्वज गाँगो महतो के नाम से रकबा 3.09ए0 भूमि की हुकुमनामा–बंदोबस्ती संबंधि साक्ष्य जहाँ एक फर्जी दस्तावेज है, वहीं लिमिटेशन एक्ट के आलोक में कालबाधित भी है। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात कायम किए गए सरकारी पंजी।। में गाँगो महतो अथवा उनके किसी वारिशान के नाम

न जमाबंदी नहीं कायम किया जाना उर्पयुक्त तर्कों की पुष्टि करता है विपक्षी सं0–1 अर्थात दुलारी देवी के उत्तराधिकार के आधार पर [illegible] भूमि पर अधिकार के संबंध में विज्ञ अधिवक्ता का अभिमत है कि पिता की संपत्ति में पुत्री के अधिकार का प्रावधान वर्ष 1956 में किया गया है, इसलिए उसके पूर्व इसपर भी विचारण विधि–विरूद्ध है। अंत में अपीलार्थी का अपील स्वीकृत किए जाने एवं न्यायिक प्रकिया के विरूद्ध विविधवाद संख्या 07/2006–07 में विज्ञ अंचल अधिकारी डुमरी के द्वारा दिनांक 20.02.2007 में पारित आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा किया गया।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया कि यह अपीलवाद कालबाधित है। वादगत खाता सं0 51 के खतियानी रैय्यत बेनी वो झग्गर में सें झग्गर के नावल्द फौत कर जाने के उपरांत संपूर्ण रकबा पर स्वामित्व और दखल बेनी का स्थापित हुआ। विज्ञ अधिवक्ता के अनुसार इस वाद में फुली stranger है। खातासं0 51 के कुल खतियानी रकबा 6.27ए0 के विरूद्ध 5.37ए0 भूमि को बेनी ग्वाला ने निबंधित दस्तावेज़ दि0 27.05.15 के द्वारा भुतपूर्व जमींदार रघुनाथ शाह भगत के नाम प्रत्यार्पित (surrender)कर दिया था (छायाप्रति अभिलेखबद्ध)। इस प्रत्यापर्ण के पश्चात बेनी अवशेष रकबा 0.90 ए0 मात्र के दखलकार रहे। बेनी की मृत्यु के उपरांत उनकी एकमात्र पुत्री कुंती उर्फ पुनिया देवी का इसपरपर दखल और कायमी अधिकार स्थापित हुआ, और पुनिया की मृत्यु के पश्चात उनकी एकमात्र पुत्री दूलारी देवी (इस अपीलवाद के विपक्षी सं0–1) इस भूमि की दखलकार और स्वामिनी हुई। विज्ञ अंचल अधिकारी के द्वारा निम्न–न्यायालय अभिलेख के अंतर्गत दखल और डत्तराधिकार के आधार पर दूलारी देवी के नाम से 0.80ए0 का लगान रसीद निर्गत किए जाने हेतु पारित आदेश विधिसम्मत है। विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि निबंधित प्रत्यार्पण दस्तावेज दि0 27.05.15 के पश्चात भुतपूर्व जमींदार रघुनाथ शाह भगत के द्वारा 5.37 ए0 के विरूद्ध 3.09ए0 भूमि की हुकुमनामा बंदोबस्ती 1332 साल फसली में गाँगो महतो के नाम से कर दी गई थी। गाँगो महतो की मृत्यु के उपरांत उनका एकमात्र पुत्र भोली एवं भोली की मृत्यु के उपरांत उनका एकमात्र पुत्र टुकन(इस अपीलवाद के विपक्षी सं0–2) बंदोबस्त रकबा 3.09ए0 के दखलकार चले आ रहें हैं, और इसप्रकार हुकुमनामा

बंदोबस्ती से प्राप्त भूमि के दखल और उत्तराधिकार के आलोक में टुकन महतो के नाम से रकबा 3.09ए0 का लगान रसीद निर्गत किए जाने हेतु निम्न–न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को भी गलत नहीं कही जा सकता। अंत में उर्पयुक्त उल्लेखित तर्क के आलोक में अपीलार्थी का अपील खारीज किए जाने का अनुरोध विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा किया गया।

पक्ष और प्रतिपक्ष के उर्पयुक्त उल्लेखित तर्क , निम्न–न्यायालय अभिलेख सं0 07/2006–07 का समग्र रूप में अवलोकन एवं उनके विवेचन के उपरांत मैं पाता हूँ कि –

1. अपीलार्थी पक्ष के नाम से पंजी।। के के जमाबंदी पृ0सं0–84 में कायम जमाबंदी एक long standing jamabandi है। लगभग 54 वर्ष के उपरांत एक कालबाधित प्रत्यार्पण दस्तावेज(मूल दस्तावेज की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई) , अप्रमाणिक हुकुमनामा बंदोबस्ती साक्ष्य और उत्तराधिकार के नियमों के विरूद्ध किसी विविधवाद के अंतर्गत नामांतरण की प्रक्रिया के अंतर्गत भिन्न पक्ष के long standing jamabandi से रकबा को घटाए जाने और तदनुसार रसीद निर्गत किए जाने कें संबंध में पारित आदेश को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

2. लेखो यादव के नाम से पंजी।। के जमाबंदी पृ0सं0–84 में वादगत खाता के कुल रकबा 6.27 ए0 को यदि गलत पाए जाने की परिकल्पना की भी जाए तो विपक्षी पक्ष के 0.80ए0 +3.09ए0, अर्थात कुल 3.89ए0 के बाद जमाबंदी में अवशेष 2.38ए0 भूखंड को सही कैसे माना जा सकता है ? और इस संबंध में निम्न–न्यायालय अभिलेख में अंचल अधिकारी के द्वारा कोई उल्लेख क्यों नहीं किया गया है?

3. निम्न–न्यायालय में आवेदक पक्ष(इस अपीलवाद के विपक्षी) के द्वारा दिए गए आवेदन में भी यह उल्लेख किया गया है कि तुलसी यादव अर्थात इस वाद के अपीलार्थी उनके गोतिया हैं और इन्हें भूमि जोत–आबाद करने एवं उसकी देख–भाल करने के लिए दिया गया था। अभिलेख में संलग्न हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन से भी प्रतीत होता है कि तुलसी यादव भूखंड के दखलकार हैं। अगर दखल को भी आधार माना जाए तो भी इस बिन्दू पर निम्न–न्यायालय के द्वारा विचारण का सही प्रयास नहीं किया गया है।

4. विपक्षी पक्ष के द्वारा दाखिल किए गए दावा–साक्ष्य और उत्तराधिकार का दावा पर यदि विचारण किया भी जाए तो इस प्रश्न

का उत्तर देने में वे असमर्थ रहे कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात कटे किए गए सरकारी पंजी।। में उनका नाम दर्ज क्यों नहीं किया गया और निम्न–न्यायालय के द्वारा वाद के निष्पादन के पूर्व तक उनके नाम से लगान रसीद क्यों नहीं निर्गत की गई ?

स्वत्व और उत्तराधिकार की व्याख्या के लिए एकमात्र व्यवहार–न्यायालय को ही right platform माना गया है। किसी राजस्व–न्यायालय में इसपर विचारण और भिन्न पक्ष के स्थापित जमाबंदी से आंशिक रकबा को घटाकर अलग जमाबंदी कायम किए जाने तथा लगान रसीद निर्गत किए जाने के संबंध में नामांतरण वाद के अतिरिक्त किसी अन्य वाद में कोई आदेश पारित किए जाने की प्रकिया विधि–विरूद्ध ही कही जाएगी। अतः अपीलार्थी के अपील को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी डुमरी के विविधवाद संख्या 07/2006–07 में विज्ञ अंचल अधिकारी डुमरी के द्वारा दिनांक 20.02.2007 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। पारित आदेश से उभयपक्ष को अवगत कराया जाए और आदेश की प्रति अनुपालन हेतु निम्न–न्यायालय मूल अभिलेख के साथ अंचल अधिकारी डुमरी को भेजी जाए।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गिरिडीह।